

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस होटल के पीछे, जयपुर

क्रमांक:एफ13()ब.घो.12-13/अनुप्रतियो./सान्याअवि/12/

जयपुर, दिनांक :

उपनिदेशक/सहायक निदेशक/
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

52418-50

2/09/2015

विषय : संशोधित अनुप्रति योजना नियम - 2015 में राष्ट्रीय स्तर की
शिक्षण संस्थाएँ जोड़े जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय पत्र क्रमांक एफ 13 ()ब.घो.12-13/अनुप्रति यो./सान्याअवि/12/ 66614 दिनांक 24.12.2014 के द्वारा संशोधित अनुप्रति योजना नियम- 2015 जारी किये गये थे। उक्त नियमों के परिशिष्ट 'अ' पर राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं की सूची है। उक्त सूची में निम्नांकित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ओर जोड़े जाते हैं :

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)

S. No.	Institutions
1	All India Institute of Medical Sciences, Patna, Bihar
2	All India Institute of Medical Sciences, Raipur, Chhatisgarh
3	All India Institute of Medical Sciences, Bhopal, Madhya Pradesh
4	All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar, Odisha
5	All India Institute of Medical Sciences, JODHPUR, Rajasthan

उक्त संस्थानों में अध्ययनरत अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों को नियमानुसार स्वीकृत कर अनुप्रति योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि दिया जाना सुनिश्चित करावें।

^ 21.8.15
(अम्बरीष कुमार)
निदेशक

क्रमांक: एफ 13 ()ब.पो.12-13/अनुप्रति यो./सान्याअवि/12/52451-540 जयपुर, दिनांक 2/09/2015
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
8. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. जिला कलक्टर
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
11. निदेशक/प्राचार्य
12. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. सयुक्त निदेशक (योजना)/मुख्य लेखाधिकारी/ उपनिदेशक (दिवनारायण) एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/ सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार)/ सहायक निदेशक (शिक्षा), मुख्यावास।

1.9.2015
(डॉ. हरसहाय मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(अनु.जाति/जनजाति कल्याण)